सूचना का अधिकार

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र.
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्र. सूअप्र / संतशि / 2019 / 275 भोपाल,दिनांक / 09 / 07 / 2019

प्रति,

प्राचार्य / लोक सूचना अधिकारी,
समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थायें,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–05 का पालन किये जाने के संबंध में ।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत म.प्र. शासन, तकीनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1411 / 1433 / 2019 / 42–2, दिनांक 28.6.2019 के साथ म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11–90 / 2019 / सूअप्र / 1–9 / 479, दिनांक 21.6.2019 संलग्न प्राप्त हुई है (छायाप्रति संलग्न)। शासन द्वारा श्री वरूण नामदेव जिला–उमरिया द्वारा माननीय मुख्य सूचना आयुक्त को संबोधित ज्ञापन दिनांक 13.2.2019 की छायाप्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानो के अंतर्गत उक्त बिन्दुओं का पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अतर्गत उक्त ज्ञापन के बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

लोक सूचना अधिकारी
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
भोपाल – मध्यप्रदेश

पृ0क्र. सूअप्र / संतशि / 2019 / भोपाल, दिनांक / / 07 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की ओर ज्ञाप क्रमांक 1411 / 1433 / 2019 / 42 / 2, दिनांक 28.6.2019 के संबंध में सूचनार्थ।
2. प्रमुख आई.टी. अधिकारी, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल की ओर उपरोक्त परिपत्र वेव पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु अग्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
भोपाल – मध्यप्रदेश

(1)

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004
——:::::000:::::——

कमांक 1511 /1433/2019/42/2 भोपाल दिनांक 24 /06/ 2019

प्रति,

1. संचालक
कौशल विकास संचालनालय
जबलपुर, म0प्र0।

2. संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
म0प्र0भोपाल।

3. आयुक्त,
रोजगार संचालनालय,
विंध्याचल भवन, भोपाल।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पालन किए जाने के संबंध में।
——:::::000:::::——

उपरोक्त विषय में लेख है कि उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 21.06.2019 का अवलोकन करें। जिसमें श्री वरूण नामदेव जिला – उमरिया द्वारा माननीय मुख्य सूचना आयुक्त को संबोधित ज्ञापन दिनांक 13.02.2019 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त ज्ञापन के बिन्दुओं का पालन करने हेतु निर्देशित किया है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(पंकज शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय,भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
स्कूली शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्री क्र. 1433
दिनांक 26/06/2019

क्र. एफ 11–90/2019/सूअप्र/1–9/479 भोपाल, दिनांक 21/06/2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पालन किए जाने के संबंध में ।

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश सूचना आयोग, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक क्यू/रासूआ/उमरिया/2019/7602, दिनांक 10.05.2019 के साथ आवेदक श्री वरुण नामदेव, जिला–उमरिया द्वारा मा. मुख्य सूचना आयुक्त को संबोधित ज्ञापन दिनांक 13.02.2019 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त ज्ञापन के बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(धरणेन्द्र कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

पृ.क्र. एफ 11–90/2019/सूअप्र/1–9/480 भोपाल, दिनांक 21/06/2019

प्रतिलिपीः–

सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की ओर उनके पत्र क्रमांक क्यू/रासूआ/उमरिया/2019/7602, दिनांक 10.05.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

पंजी. क्र. 1138/2019/1-9
दिनांक 13/05/2019

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 website: www.sic.mp.gov.in

क्रमांक-Q/रासूआ/ उमरिया/2019/ 7602 **भोपाल, दिनांक** 10 **/05/2019**

प्रति,

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ,
बल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।

विषय : सूचना के अधिकार में पालन एवं संशोधन बाबत्।
सन्दर्भः जिला उमरिया, म.प्र. के समस्त आरटीआई कार्यकर्ता, व्दारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 13,02,2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र व्दारा जिला उमरिया के आरटीआई कार्यकर्ता श्री वरूण नामदेव व्दारा ज्ञापन दिनांक 13.02.2019 आयोग को प्रेषित किया गया है, जिसमें मा0 मुख्य सूचना आयुक्त व्दारा दिये गये आदेशानुसार बिन्दु क्रमांक 01 से 09 आपके कार्यालय से संबंधित है। अतः आवेदन की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

(मा. मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशानुसार)
संलग्नः यथोपरि।

(पराग करकरे)
अवर सचिव
राज्य सूचना आयोग

D:\BHPL\Bhopal\Ane\Vividh.doc(1)

(4)

प्रति

श्रीमान् मुख्य सूचना आयुक्त महोदय

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग 36 बी, अरेरा हिल्स भोपाल (म०प्र०)

विषय.- सूचना के अधिकार मे पालन एवं संशोधन बाबत्

महोदय,

निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (6) (1) के [illegible] के तहत सरकार के आधीन शासकीय कार्यालयों मे [illegible] सूचना के अधिकार अधिनियम के पत्रो का निराकरण नही किया जाता। प्रार्थी [illegible] मांगी गई जानकारी पर पत्रों की जानकारी नहीं दी जाती जिससे अनावश्यक प्रार्थी को परेशानी झेलनी पडती है।

1. यह कि शासन के नियमानुसार शासकीय विभागों एवं वित पोषित संस्था जिन जिन विभागों मे सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है उन सभी विभागों एवं वित्त पोषित संस्था मे सूचना का अधिकार संबंधित नियम कार्यालय मे नही लिखे होने से आम लोगों को परेशानी होती है, जिसे लिखा जाये।
2. यह कि अधिकतर विभागों मे अपीलीय अधिकारी का नाम व पता, संपर्क नंबर अंकित नही है जिसे अंकित कराया जाये।
3. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी जिले के कलेक्टर को बनाया जाये, क्योंकि संयुक्त संचालक संभागीय अधिकारी को बनाने से अपीलार्थी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एव अन्य परेशानियां होती है।
4. यह कि [illegible] मे पारदर्शिता बनाये रखने हेतु सूचना पटल पर लोक दस्तावेज जो सूचना का अधिकार नियमानुसार शासकीय विभागों मे अपीलार्थी को सूचना का अधिकार आवेदन करने पर दिये जा सकते है, जिसे आम जन की जानकारी हेतु प्रदर्शित की जाये।
5. यह कि समस्त विभाग मे एक कर्मचारी को इसी कार्य के लिए पदस्त किया जाये जो समय पर सूचना का अधिकार आवेदन की जानकारी दे। इससे शासकीय कार्य प्रभावित न हो सके।
6. यह कि अपीलार्थी को प्रथम व द्वितीय अपील उसकी उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनो पर सुना जाये, क्योंकि अपीलार्थी को आर्थिक शारीरिक, मानसिक व समय अभाव के कारण वह नही पहुंच पाता था अपीलार्थी के प्रथम या द्वितीय अपील का खर्चा जिस कार्यालय मे सूचना का अधिकार का आवेदन किया गया है, उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी से दिलवाया जाये ताकि अपीलार्थी को अनेक परेशानियों का सामना न करना पडे।
7. यह कि द्वितीय अपील का निराकरण समय सीमा के भीतर करने की व्यवस्था लागू की जाये, कई बार देखा जाता है कि वकीलों के आवेदनों पर ही शीघ्र विचार किया जाता है जिससें दूसरें आवेदक अनावश्यक परेशान होता है। जिससे कानून का [illegible] होता है।
8. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी पर जानकारी न देने पर जुर्माने का प्रावधान होने के बाद भी प्रथम अपील अधिकारी द्वारा ऐसा नही किया जाता है।
9. यह कि सूचना का अधिकार से संबंधित नियम कार्यालय मे चस्पा करवायें जावें ताकि आम जनता को सूचना का अधिकार नियम कानून की सही व सटीक जानकारी हो सके।
10. यह कि म०प्र० राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलार्थी को पत्र भेजे जाने पर संदर्भित आवेदन से संबंधित पत्र क्रमांक, विभाग का नाम दिनांक को संदर्भित करें। जिससे अपीलार्थी समझ सके कि किस आवेदन का पत्र आया हुआ है।
11. यह कि राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदेश के हर जिलो में शिविर लगाकर अपीलार्थी की द्वितीय अपील का समय सीमा मे निराकरण किया जाये।
12. यह कि द्वितीय अपील का निराकरण अपीलार्थी के फोन नंबर या वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से एवं अन्य सरलीकरण का उपयोग करते हुए निराकरण करवाया जाये जिससे अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम का लाभ असान तरीके से मिल सके।

अतः श्री मान् से निवेदन है कि [illegible] दिये गए आवेदन के हर बिन्दू पर विचार करते हुए [illegible] लोक हित मे [illegible] जिससें प्रेरित होकर देश के [illegible] भी सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन करा [illegible] अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम की सुविधा [illegible] हो सके।

दिनांक 15-02-2019

स्थान....... उमरिया जि० उमरिया

समस्त आरटीआई कार्यकर्ता

जिला—उमरिया (म०प्र०)

Varun Nawdev